

इ-प्रिंट फॉर्म फॉर्म फॉर्म फॉर्म

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, सांगोद  
जिला-कोटा



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक - R.B.O/2014/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/8717  
11-2014

दिनांक 15-

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी कविता मेघवाल पुत्री गुलाब चन्द्र मेघवाल गांव/नगर रूसल्या तहसील सांगोद जिला कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मेघवाल (46) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,  
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951,  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिया (संघरण) आदेश 1956, बम्बई युनाइटेड अधिनियम 1960, पंजाब युकाठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप्य क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघरण) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संसोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (हिमाचल) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संसोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादर तथा नगर हुबली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (याहरा तथा नगर हुबली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (गोरेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ), दमन तथा दीवा अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ), दमन तथा दीवा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी कविता मेघवाल गांव/नगर रूसल्या तहसील सांगोद जिला कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ दर्ही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसंचान सं.एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायालय में निरोक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section वे ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार सांगोद

Signature valid

Digitally signed  
SURENDRA KASAD  
Date: 30/12/2015  
07:40:44 +05:30  
Reason: T.M.  
Location: Rajasthan



1430047010041801